

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक : 10/3/2017


क्रमांक एफ-10-13/2017/वाक/पांच (14) - छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-10-37/2016/वाक/पांच (71), दिनांक 29.08.2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

अंक, शब्द एवं चिन्ह "31 मार्च, 2017" के स्थान पर, अंक, शब्द एवं चिन्ह "30 जून, 2017" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,




(ए.पी. त्रिपाठी)
विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक : 10/3/2017

क्रमांक एफ-10-13/2017/वाक/पांच (14)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-13/2017/वाक/पांच (14), दिनांक 10/3/2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(ए.पी. त्रिपाठी)
विशेष सचिव

**Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur**

NOTIFICATION

Naya Raipur, dated : 10.03.2017


No. F-10-13/2017/CT/V (14) - In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's notification No. F-10/37/2016/CT/V(71), dated 29th August, 2016, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

For the figures, word and punctuation "31st March, 2017", the figures, word and punctuation "30st June, 2017" shall be substituted.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,



(A.P. Tripathi)
Special Secretary